विचार बिन्दु

क्रोध में हो तो बोलने से पहले दस तक गिनो, अगर ज्यादा क्रोध में तो सौ तक। –जेफरसन

अभिव्यक्ति की आज़ादी राज्य की उदारता से नहीं मिलती

इन दिनों परंपरागत तथा नया मीडिया दोनों एक अनोखी अधीरता के दौर से गुजर रहे हैं। वहां भावनाओं का ज्वार तथा शोरगुल भरा ऐसा माहौल है जिसमें सारे मूल मुद्दे और असली तथ्य दबे रहने को अभिशप्त लगते हैं। नये मीडिया पर हर कोई अपना फतवा जारी कर दुनिया को जीतने में लगा है तो परंपरागत व्यावसायिक मीडिया भी जन विश्वास की पूंजी खो बैठा लगता है। ऐसे माहौल में अभिव्यक्ति की आज़ादी दबाई जाने की बातें तो खूब की जा रही है, मगर सभी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी चाहने वाले अपने से विपरीत विचारों पर पाबंदी भी चाहते हैं। जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसमें संवाद की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है। वैचारिक मतभेद को दुश्मनी की हद तक ले जाना और अपने विचारों से इतर विचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न देने की वामपंथी प्रवत्ति भारत में वर्षों से व्याप्त थी जो अब दक्षिण पंथ वालों की तरफ से जवाब में सामने आ रही है। प्रगतिशीलता का स्थान अब सनातनवाद लेने लगा है। पिछली सदी में आधी दुनिया जीत लेने के बाद वामपंथ के अनुगामियों को हम ही सही हैं का दंभ हो गया था। सोवियत संघ के ढांचे के ढहने के बाद दुनिया बदल गई। अब सनातन का दंभ भी कम नहीं है।कोई ज़माना था जब राजनेताओं के बयान संतुलित होते थे। हल्की भाषा में बोलने वाले अधिकतर निचले दर्जे के नेता ही होते थे जिनका नोटिस मीडिया, हार्ड न्यूज़ के तौर पर गंभीरता से नहीं लेता था। राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के बड़े नेता हमेशा शब्दों की शालीनता बनाए रखते थे। उनकी शिक्षा ही ऐसी थी। वे जिन नेताओं की छत्र-छाया में अपना राजनैतिक वजूद बनाते थे उनसे शालीन भाषा का प्रयोग भी सीखते थे। मगर अब सोशल मीडिया पर उतरे लड़ाकुओं ने शालीनताओं की सारी सीमाएं लांघ ली है। राजनैतिक दल अब अपने वर्चस्व तथा सामने वाले का सम्पूर्ण खात्मा करने अभियान चलाते हुए वार रूम बनाते हैं जहां डिजिटल हमलों के लिए गोला-बारूद तैयार होते हैं और हमलों की रणनीतियां बनती हैं। संविधान में अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार होने के बावजूद, यह स्वतंत्रता हमेशा समाज में एक गहरे ध्रुवीकरण का विषय भी रही है।

भारत के प्रत्येक नागरिक को खुली, गतिशील तथा तर्कसंगत अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं उसका नागरिक कर्तव्य भी है।लेकिन जब शासन क्या बोला गया है उसके आधार पर सार्वजनिक चर्चा को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। सर्वोच्च अदालत कह चुकी है कि सरकार या उसकी व्यवस्था से किसी की नाराजगी या विरोध 'राज्य' का विरोध नहीं होता। लेकिन शासन में बैठे लोग,चाहे वे केंद्र में बैठे हों या राज्यों में, जब अपने बहुमत के हवाले से अभिव्यक्ति की आज़ादी की अपनी व्याख्या करते हुए विरोध के प्रति असहनशील हो जाते हैं तब उनके हमलों का लक्ष्य मीडिया भी होता है जिसमें परंपरागत रूप से अबोलों की आवाज़ गूंजती रही है। ऐसे हालात लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इसीलिए आज वैचारिक हताशा के दौर में शासन के अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ यह सवाल भी उठाया जाता है कि क्या अभिव्यक्ति की निर्बाध अनुमति दी जानी चाहिए, या अभद्र और उकसाऊ भाषा को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए? यदि हां, तो अभद्र और उकसाऊ भाषा को कौन परिभाषित करेगा? क्या सार्वजनिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से निशाना बनाया जा सकता है या उनकी विश्वसनीयता और पवित्रता की रक्षा के लिए ऐसी आलोचना की कोई सीमा होनी चाहिए? यदि हां, तो ऐसी सीमाओं को कैसे परिभाषित किया जाय? देश के क़ानूनों के विपरीत कुछ होता है तो उससे निपटने और कानून तोड़ने वालों की पहचान और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करने की पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान के तहत पहले से ही उपलब्ध है। कह सकते हैं कि कानून और व्यवस्था तथा अपराधों की जांच के लिए एक भरी पूरी व्यवस्था हमारे लोकतान्त्रिक संविधान के तहत की हुई है। इसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंसी की भूमिका होती है जो सबसे पहले सतर्क होती है। या इसके अभाव में यदि कोई शिकायत दर्ज होती है जिसे यदि जांच एजेंसी प्रथम दृष्ट्या ठीक समझती है तो वह उसकी विस्तृत निष्पक्ष जांच करती है। जांच में यदि उसे कानून को तोड़ने के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं तभी वह उस पर अदालत में मुकदमा दर्ज करती है। अंत में अदालत दोनों पक्षों को सुन कर, उनके तर्कों को तोल कर अपना फैसला सुनाती है। यह एक आदर्श व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्थाओं में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए न्याय की देवी के हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी बंधी होने का प्रतीक हम सामने रखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ़्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि लिखी हुई है। हाल ही में खत्म हुए संसद के सत्र में केंद्र सरकार ने बदले ज़माने की जरूरतों के अनुरूप कानूनों को अद्यतन करने के लिए तीन महत्वपूर्ण बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए गये। इनमें राजद्रोह, देशद्रोह और आतंकवाद को स्पष्ट तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया जाने का दावा किया गया है। सबसे प्रमुख है राजद्रोह को अपराध की श्रेणी में न रखना। पिछले साल राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी तब शीर्ष अदालत ने कहा था कि सरकारों को इस कानून के तहत कोई कठोर कार्रवाई करने से बचना चाहिए। नए क़ानून में एक नया अपराध जोड़ा गया है जिसके तहत नफरत फैलाने, पृथकावादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को ख़तरा पहुंचाने को अपराध माना जायेगा। कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं जिनमें बम बनाना व सिंडीकेट क्राइम भी शामिल हैं। कई अपराधों को लैंगिक संदर्भों से भी जोड़ा गया है और हत्या की परिभाषा में पांच या उससे अधिक लोगों द्वारा जाति या धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है। इसके अलावा पहली बार कम्यूनिटी सर्विस को बतौर सज़ा के शामिल किया जा रहा है। कई अपराधों की सज़ा में भी बढ़ोतरी की गई है, जैसे गैंग रेप के मामले में अभी कम से कम दस वर्ष की सजा का प्रावधान है जिसे बढ़ा कर बीस वर्ष करने का प्रस्ताव है। साक्ष्य क़ानून में अब इलेक्ट्रॉनिक इंफ़ोर्मेशन को भी शामिल किया गया है। देखना होगा कि संसद की प्रवर समिति में चर्चा के बाद ये बिल किस रूप में संसद के सामने आते हैं।

हमारे संविधान द्वारा पुष्ट लोकतान्त्रिक नैतिकता इस सम्मान को आधार देती है और देश की एकता को मजबूती देती है। सत्ता में बैठे लोगों तथा सत्ता के संस्थानों से असहमतियां होना जीवंत लोकतंत्र का प्राण होती है। किसी असहमति की अभिव्यक्ति वह चाहे कितनी ही कड़वी और कड़ी क्यों न हो देशद्रोह नहीं हो जाती।

हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की सीमा कहां तक हो, इसे लेकर हमेशा विवाद रहा है। इस विवाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह का अपराध माना जाना बड़ा मुद्दा रहा है। विरोध की अभिव्यक्ति की आज़ादी कब देशद्रोह की सीमा में प्रवेश कर जाती है यही मुद्दा प्रमुख बना रहा है। आलोचनात्मक चिंतन एवं अभिव्यक्ति को सम्मान दिए बिना किसी खुले, सहिष्णु एवं लोकतांत्रिक समाज की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे संविधान द्वारा पुष्ट लोकतान्त्रिक नैतिकता इस सम्मान को आधार देती है और देश की एकता को मजबूती देती है। सत्ता में बैठे लोगों तथा सत्ता के संस्थानों से असहमतियां होना जीवंत लोकतंत्र का प्राण होती है। किसी असहमति की अभिव्यक्ति वह चाहे कितनी ही कड़वी और कड़ी क्यों न हो देशद्रोह नहीं हो जाती। यहां तक कि कोई आहत या भटका हुआ नागरिक यदि देश के विरोध में नारे लगा दे तब भी उसे देशद्रोह मानना समझदार लोग ठीक नहीं मानेंगे। परिपक्व लोकतंत्र के परिपक्व नागरिकों में सहनशीलता के विवेक की अपेक्षा की जाती है। विवेक से ही ऐसी तीखी प्रतिक्रियाओं की अनदेखी भी की जाती है और प्रेम से दिल जीते जाते हैं। महात्मा गांधी ने ऐसा व्यवहार में करके दिखाया। विरोध के स्वरों को देशद्रोह बता कर सत्ता में बैठे लोग और उनके समर्थक जरूरत से ज्यादा उठा हो जाते हैं तो इससे भी अशांति का माहौल बनता है और नागरिकों में आपसी वैमनस्य का भाव पनपता है। इसके नतीजे में हिंसा सिर उठा लेती है और समूचा समाज परेशान हो जाता है। नये जमाने में भारतीय समाज के रवैये में भारी बदलाव आया हुआ लगता है। यह बदलाव हमें सिखाता है कि मुक्त अभिव्यक्ति को सीमित करने के प्रयासों पर विपरीत प्रतिक्रिया भी हो सकती है। यह भी कि दमित लोगों में अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए संघर्ष कि भावना पनपती है जिसके परिणामस्वरूप, वे ऐसे किसी भी आंदोलन या नेता के साथ जुड़ जाते हैं जो उन्हें ऐसी स्वतंत्रता देता हुआ लगता है भले ही अप्रत्यक्ष रूप से उनका उपयोग किया जा रहा हो। मगर यह सच है कि जब भी असहमति को मिटाने का प्रयास किया जाता है, जनता आवाज उठाती है और जवाबदेही की मांग करती है। हर पांच साल बाद होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव जवाबदेही की व्यवस्था ही माने जाते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता राज्य की उदारता से नहीं मिलती। यह नागरिकों का मूलभूत अधिकार है।अभिव्यक्ति का सरकारी दमन असत्य को उजागर करने को अधिक कठिन तो बना सकता है, उसे पूरा रोक नहीं सकता।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

सरकार और समाज के लिए घातक हैं मुफ्त की रेवड़ियां

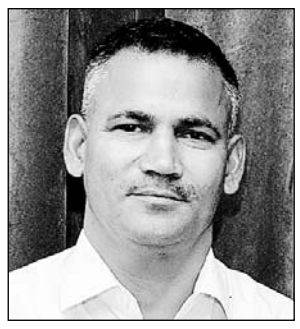

प्रकाश चन्द्र शर्मा

राजनीति दो शब्दों का एक समूह है- राज नीति (राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला) अर्थात् नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर (सार्वजनिक जीवन स्तर) को ऊँचा करना ही राजनीति है।

पांच राज्यों में आचार संहिता लागू होते ही विधानसभा चुनाव की दुंदुभि बज चुकी है। राजनीतिक दल अपने वादों से मतदाताओं को लुभाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें मुफ्त सुविधाएँ देना भी शामिल है। वर्षों से मुफ्त सुविधा की राजनीति चुनावी लड़ाई का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। पाँच राज्यों- मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों का परिदृश्य मुफ्त की घोषणाएं बांटने से कतई अछूता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में मुफ्त सुविधाएं देने का रिवाज किसी एक दल विशेष में है। राजनीति के इस दंगल में सभी पहलवान आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फ्री की रेबडियां बांटा करते हैं।

राजनीतिक दल लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिये मुफ्त बिजली/पानी की आपूर्त्ति, बेरोज़गारों, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और महिलाओं को भत्ता, साथ-साथ गैजेट जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि की पेशकश करने का वादा करते हैं। इस प्रथा के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हैं। ऐसी प्रथा के समर्थकों का तर्क है कि मतदाताओं के लिये यह जानना आवश्यक है कि पार्टी सत्ता में आने पर क्या करेगी? इसके अलावा दलीय घोषणाओं को तौलने का उनके पास मौका भी रहता है। आम मतदाता घोषणाओं, वादों और गारंटियों को अपने चिंतन के तराजू में तौल सकते हैं। मुफ्तखोरी का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे राज्य के साथ-साथ केंद्र के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है (यदि लोकसभा चुनाव होते हैं)। मुफ्तखोरी के पक्ष में तर्क देने वालों का कहना है कि जनता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये उन्हें सहूलियतें देना अत्यावश्यक है। खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर है (या नहीं है), चुनाव आने पर लोगों को नेताओं/राजनीतिक दलों से ऐसी उम्मीदें होने लगती हैं, जो मुफ्त के वादों से पूरी होती हैं।

इसके अलावा जब आस-पास के अन्य राज्यों के लोगों को मुफ्त सुविधाएँ मिलती हैं तो चुनावी राज्यों में भी लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं। फ्री की रेबडियां बांटने के पक्षधर मानते हैं कि कम विकसित राज्यों के लिये यह अत्यंत मददगार है। ऐसे राज्य जो कम विकसित हैं एवं जिनकी जनसंख्या अत्यधिक है, वहाँ इस तरह की सुविधाएँ आवश्यकता या मांग आधारित होती हैं तथा राज्य के उत्थान के लिये ऐसी सब्सिडी की पेशकश ज़रूरी हो जाती है।

मुफ्तखोरी के विरोध में तर्क देने वालों का स्पष्ट मत है कि इससे न सिर्फ जनता में मुफ्तखोरी की गलत आदत पनपती है बल्कि राज्य/केन्द्र सरकार का बजट भी पूरी तरह गड़बड़ा जाता है और हालात इस कदर गम्भीर हो जाते हैं कि खजाने में विकास को गति प्रदान करने के लिए भी धन नहीं बचता है। मुफ्त सुविधाएँ देना हर राजनीतिक दल द्वारा लगाई जाने वाली प्रतिस्पर्द्धी बोली बन गया है। हालाँकि एक बड़ी समस्या यह है कि किसी भी प्रकार की घोषित मुफ्त सुविधा को बजट प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे प्रस्तावों के वित्तपोषण को अक्सर पार्टियों के ज्ञापनों या घोषणापत्रों में शामिल नहीं किया जाता है। मुफ्त में सुविधाएँ/उपहार देने से अंततः सरकारी खजाने पर असर पड़ता है। चिंताजनक बात यह है कि भारत के अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति मज़बूत नहीं है एवं राजस्व के मामले में बहुत सीमित संसाधन हैं। एक बात यह भी है कि बिना विधायी बहस के ज़ल्दबाजी में मुफ्त की घोषणा करने से वांछित लाभ नहीं मिलता है एवं यह केवल गैर-ज़िम्मेदाराना व्यय को बढ़ावा देता है। अगर गरीबों की मदद करनी हो तो बिजली और पानी के बिल माफी जैसी कल्याणकारी योजनाओं को जायज ठहराया जा सकता है। हालाँकि पार्टियों द्वारा चुनाव- प्रेरित अव्यवहारिक घोषणाएँ राज्यों के बजट से बाहर होती है। यदि राजनीतिक दल प्रभावी आर्थिक नीतियाँ बनाएं, जिसमें भ्रष्टाचार या लीकेज़ की संभावना ना हो एवं लाभार्थियों तक सही तरीके से इनकी पहुँच सुनिश्चित की जाए, तो इस प्रकार की मुफ्त घोषणाओं की ज़रूरत ही नहीं रहेगी।

पार्टियाँ जिन आर्थिक नीतियों या विकास मॉडलों को अपनाने की योजना बना रही हैं, उन्हें जनता के सामने स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये। इसके अलावा पार्टियों को ऐसी नीतियों के आर्थिक प्रभाव और व्यय को लेकर उचित समझ होनी चाहिये। केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल इस तरह के उपायों का पालन करने एवं उदाहरण स्थापित करने वाली पहली पार्टी होनी चाहिये। भारत एक बड़ा देश है और अभी भी ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। देश की विकास योजना में सभी लोगों को शामिल करना भी ज़रूरी है। विवेकपूर्ण और समझदार तरीके से मुफ्त या सब्सिडी की पेशकश जिसे राज्यों के बजट में आसानी से समायोजित किया जा सकता है, अधिक नुकसान नहीं करती है एवं इसका लाभ उठाया जा सकता है। बुनियादी ज़रूरतों में सब्सिडी जैसे- छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना या स्कूलों में मुफ्त भोजन देना सकारात्मक दृष्टिकोण है। सत्ता में समय का उपयोग करना सही धारणा है। यानि पाँच साल के कार्यकाल में जब एक राजनीतिक दल की सरकार सत्ता में होती है तो इस महत्त्वपूर्ण अवधि में मुफ्त के वादे के बजाय उचित प्रावधान करना चाहिये। समाज की बेहतरी और सुशासन सुनिश्चित करना सरकार एवं अन्य सभी राजनीतिक दलों की ज़िम्मेदारी है, इसलिये लोगों को इस तरह के मुफ्त उपहार देने की एक सीमा होनी ज़रूरी है। आर्थिक अर्थों में मुफ्त के प्रभावों को समझने और इसे करदाताओं के पैसे से जोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही सब्सिडी और मुफ्त में अंतर करना भी आवश्यक है क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ है, जो मांगों से उत्पन्न होते हैं जबकि मुफ्तखोरी काफी अलग है। यद्यिप लक्षित ज़रूरतमंद लोगों को लाभ देने के लिये हर पार्टी को सब्सिडी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का अधिकार है लेकिन राज्य या केंद्र सरकार के आर्थिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक बोझ नहीं पड़ना चाहिये। लोगों को यह महसूस करना चाहिये कि वे अपने वोट मुफ्त में बेचकर क्या गलती करते हैं? यदि वे इन चीज़ों का विरोध नहीं करते हैं तो वे अच्छे नेताओं की अपेक्षा नहीं कर सकते। यदि मुफ्त में खर्च किये गए धन को रचनात्मक रूप से रोज़गार के अवसर पैदा करने, बाँध और झीलों जैसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण तथा कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से राज्य का सामाजिक उत्थान और प्रगति होगी।

यह जनता ही है जो सही चुनाव करके राजनीतिक दलों को इस तरह के मुफ्तखोरी से अधिक प्रभावी ढंग से हतोत्साहित कर सकती है।

चुनाव प्रचार के दौरान वादे करते हुए केवल राजनीतिक पहलू पर विचार करना बुद्धिमानी नहीं है, आर्थिक हिस्से को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि अंततः बजटीय आवंटन और संसाधन सीमित हैं। मुफ्त की बात करते समय राजनीति के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिये।

–प्रकाश चन्द्र शर्मा,
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

विदेशी सैलानियों ने "प्रादेशिक मिलैट्स" का स्वाद चखा

उदयपुर, (कासं)। वर्तमान में विलुप्त होते मिलेट्स बाजरा, ज्वार, कंगनी, कुटकी, कोदो संवा और चेना से बने व्यंजनों का स्वाद उदयपुर में चखने को मिला। प्रतियोगिता के बीच पहुंचे विदेशी सैलानियों ने भी इनसे बने अलग-अलग व्यंजनों को चखा और कहा कि व्यंजनों का असली जायका भारत देश में ही खाने को मिलता है।

- सैलानियों ने कहा कि व्यंजनों का असली जायका भारत में
- बाजरे की बर्फी, सलाद, डोडी की सब्जी व कई तरह के व्यंजन से सजाई थाली

उदयपुर में मोटे अनाज से बनाए गए व्यंजनों पर आधारित प्रादेशिक मिलेट्स थाली प्रतियोगिता में व्यंजनों का विदेशी सैलानियों ने जायका लिया।

डॉ. शैफ संगीता धार व मोन्टो खान ने बताया कि 'कहीं गुम ना हो जाएं' के तहत मोटे अनाज के व्यंजन जो विलुप्त होते जा रहे उन्हें संरक्षण के लिए आयोजित प्रतियोगिता के तहत करीब 45 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में 20 गृहणियों व 25 छात्र-छात्राओं ने किस तरह हम फिर से बाजरे, ज्वार, कंगनी, चेना, रागी, डोगी आदि अलग-अलग स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं। जिसमें गीता सिंह प्रथम रही। परवीन राज व इतरत सिद्दीकी प्रथम व द्वितीय रनरअप घोषित की गई। वाइल्ड कार्ड के जरिए चौथे फाइनलिस्ट के रूप में अनिता चुंडावत का चयन हुआ। अतुल सक्सेना ने बताया कि इन व्यंजनों में रागी बाजरे की बर्फी, रागी के सेवईयां, कंगनी के दाल ढोकली, बाजरे के लड्डु व घेवर, नेजा ठंडाई, कांगनी चुकंदर कबाब, बाजरी का सलाद, डोडी की सब्जी, बाजरे की रोटी, सांजडा (सहजन) का रायता, बाजरे की खीर, खाजा (जुवर), कांगनी मुणा, सहजन के पत्ते की चटनी सहित प्रतिभागियों ने कई तरह के मोटे अनाज से बने जायकों को पेश किया। इन जायकों का वहां आए विदेशी सैलानियों ने भी स्वाद लिया। मैक्सिकों से आई नेन्सी ने कहा कि व्यंजनों का असली जायका भारत देश में ही चखने को मिलता है, मिलेट्स से बने इन व्यंजनों का स्वाद लाजवाब है। दिवंगत लेट्स गिव बेक की संस्थापक बबीता सक्सेना की स्मृति में यह प्रतियोगिता हुई। प्रदर्शनी में शामिल थालियों में से विजेता प्रतिभागी दिल्ली में आयोजित फाइनल में जाएंगे। मोन्टो खान ने बताया कि मोटे अनाजों का भरपूर उपयोग होता था लेकिन अब मोटे अनाज छोड़कर गेहूं व दूसरी अन्य चीजों का उपयोग होने लगा है। मोटे अनाजों को फिर से बढ़ावा देने के लिए दुनिया में भी पहल की जा रही है।

मंदिर की जमीन पर कब्जा करने पर लोगों में रोष

पाटन, (निसं)। पाटन थाना अंतर्गत ढाणी केसर में ठाकुर जी का मंदिर रजवाड़े के समय से बना हुआ है एवं मंदिर की पूजा-पाठ देखभाल ढाणीवासी समय-समय पर ओसरे अनुसार करते आ रहे हैं। विगत 15 वर्षों से बिहारीदास पुत्र नंद दास मंदिर की पूजा पाठ करते आ रहे थे परंतु वर्तमान में बिहारी दास मृत होने से अब पूजा पाठ करने में असमर्थ है।

ढाणी के लोगों ने दूसरा पुजारी मंदिर की देखभाल करने एवं मंदिर की जमीन बाबत चर्चा की तो कैलाश चंद स्वामी पुत्र बोदूराम स्वामी एवं कैलाश चंद स्वामी के पुत्र मौके पर एकत्रित होकर जमीन नहीं देने की बात कहने लगे। 14 अक्टूबर को ढाणी के लोग इस प्रकरण को लेकर एकत्रित हुए। उस दौरान कैलाश चंद स्वामी द्वारा ढाणी के लोगों को गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगा तथा कहने लगा कि ना तो में मंदिर की जमीन का कब्जा छोड़ूंगा एवं ना पूजा पाठ करूंगा। इस जगह पर मैं मकान बनाऊंगा अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। ढाणी के लोगों ने उक्त प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री पोर्टल, जिला कलेक्टर नीमकाथाना, पुलिस अधीक्षक नीमकाथाना, कार्यालय क्षेत्रीय वनअधिकारी रेंज पाटन तहसीलदार पाटन एवं पाटन पुलिस को ज्ञापन देकर मंदिर की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग की है।

रंगोली से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया

पाटन, (निसं)। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए जमुना देवी राबाउमावि खेतड़ी मोड़ में स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान छात्राओं ने सुंदर रंगोली बनाकर अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम योगी ने सभी बालिकाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए अपने अभिभावकों को जागरूक करने के लिए बताया। सीडीपीओ संजय चेतानी ने ऑनलाइन एप की जानकारी दी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाबूलाल सैनी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जानकारी दी। कार्यक्रम में विकास अधिकारी सम्पत सैनी, संस्था प्रधान शेर सिंह यादव सहित स्टाफ एवं बालिकाएं उपस्थित रही।

मतदाता जागरुकता का संदेश देती छात्राएं।

निशानेबाज अक्षय जाखड़ ने कांस्य पदक जीता

सादुलपुर, (निसं)। थार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के युवा निशानेबाज अक्षय जाखड़ ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ज्ञातव्य है कि थार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित कोच धर्मेंद्र डूडी व कैप्टन विनोद काजला के पास ट्रेनिंग ले चूके पिस्टल शूटर अक्षय जाखड़ ने कोरिया के चांगवोन शहर में खेली जा रही 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वहीं इस निशानेबाज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साल में दूसरी बार मेडल जीतकर अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया हैं। गौरतलब है कि भारत अब तक इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में मेडल टैली में 28 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर है। जिसमें 11 गोल्ड, 11 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 1 नवम्बर, 2023

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2080, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 4:36 तक, परिद्य योग दिन 2:06 तक, बव करण प्रातः 9:25 तक, चन्द्रमा सांय 4:12 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-तुला, चन्द्रमा-वृष, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 4:36 तक है। आज करवा (करक) चौथ व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 8:28 पर होगा। आज दशरथ चतुर्थी है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:25 तक, शुभ 10:48 से 12:10 तक, चर 2:55 से 4:18 तक, लाभ 4:18 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:40, सूर्यास्त 5:41

मेष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में परिचितों से सहयोग मिलेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। आज धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कर्क

व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। मित्रों/रिश्तेदारों के साथ धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला

धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक-सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

वृश्चिक

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

धनु

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

मकर

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं।

कुंभ

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।